# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 61 / 2016

सरकार जरीये श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राहुल सांखला पुत्र श्री जगदीश सांखला, उम्र–28 वर्ष (एफ.बी.ओ.)
   मैसर्स– जगदीश डिपार्टमेन्टल स्टोर, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, मंडोर कृषि मण्डी के बाहर, जोधपुर निवासी– 34, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, जोधपुर
2. श्री जगदीश सांखला पुत्र श्री उदाराम सांखला, (मालिक)
   मैसर्स– जगदीश डिपार्टमेन्टल स्टोर, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, मंडोर कृषि मण्डी के बाहर, जोधपुर निवासी– 34, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, जोधपुर

अप्रार्थीगण

## आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/ रीडर / 2012 / 1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री राहुल सांखला पुत्र श्री जगदीश सांखला, मैसर्स– जगदीश डिपार्टमेन्टल स्टोर, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, मंडोर कृषि मण्डी के बाहर, जोधपुर निवासी– 34, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र–5ए, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र 12214032000786, फार्म वेट–03 प्रमाण–पत्र जगदीश डिपर्टमेन्टल स्टोर, पहचान पत्र श्री राहुल सांखला, पहचान पत्र श्री जगदीश सांखला, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, नमूना एम–993 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एम–993 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एम–993 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एम–993 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 29.01.2016 को 05.30 पी.एम पर अप्रार्थी श्री राहुल सांखला पुत्र श्री जगदीश सांखला, मैसर्स–जगदीश डिपार्टमेन्टल स्टोर, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, मंडोर कृषि मण्डी के बाहर, जोधपुर निवासी– 34, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, जोधपुरकी दुकान पर विक्रेता की हेसियत से उपस्थित मिलने पर श्री राहुल सांखला को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होने मौके पर नही होना जाहिर किया।

उपरोक्त दूकान का निरीक्षण करने पर **मिर्ची पाउडर (जगदीश डिपार्टमेन्टल) 500 ग्राम के 20 पोली पैकेटस** आम जनता को विक्रेय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 340/– नगद देकर **मिर्ची पाउडर (जगदीश डिपार्टमेन्टल) 500 ग्राम के 4 पोली पैकेटस** खरीदी एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **मिर्ची पाउडर (जगदीश डिपार्टमेन्टल) 500 ग्राम के 4 पोली पैकेटस को** चार गत्ते के खाली डिब्बो में डालकर चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार किया। लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एम–993 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर एम–993 चार पेपर स्लिप एम–993 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवायें। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं , गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता

अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 22.02.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम–993 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 29.01.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 29.01.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 6327–28 दिनांक 29.03.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./93/एक्ट/2016/133 दिनांक 12.02.2016 प्रति के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया **मिर्ची पाउडर (जगदीश डिपार्टमेन्टल) मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/स्वीकृति/एम–993/ दिनांक के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने **मिथ्याछाप (Misbranded) मिर्ची पाउडर (जगदीश डिपार्टमेन्टल)** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 18-10-16 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी श्री राहुल सांखला ने अवगत करवांया की वक्त निरीक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर/दुकान से **मिर्ची पाउडर (जगदीश डिपार्टमेन्टल)** आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया जो उक्त नमूना सं. एम–993 है उक्त नमूना संख्या एम–993 अवमानक स्तर (Misbranded ) होना पाया गया। मैने उक्त **मिर्ची पाउडर (जगदीश डिपार्टमेन्टल)** मे किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की है नियमो की जानकारी के अभाव में उक्त पैकेट पर पैकिंग डिटेल प्रिंट नही करवाया जा सका। जिसका ज्ञान नही था अतः भविष्य में इस तरह की गलती नही करने एवं अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस./93/एक्ट/2016/133 दिनांक 12.02.2016 द्वारा अप्रार्थी द्वारा निर्मित **मिर्ची पाउडर (जगदीश डिपार्टमेन्टल)** का सैम्पल नमूना संख्या एम–993 जांच रिपोर्ट में **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री राहुल सांखला एवं अन्य द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2( ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणो को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी श्री राहुल सांखला एवं अन्य द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26

की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगणो पर राशि रूपये 7000 /– (अखरे रूपये सात हजार मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी श्री राहुल सांखला एवं अन्य उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 11/2/17 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11/2/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांक :- 682-686 दिनांक :- 11-2-2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
4. श्री राहुल सांखला पुत्र श्री जगदीश सांखला, उम्र–28 वर्ष (एफ.बी.ओ.)
   मैसर्स– जगदीश डिपार्टमेन्टल स्टोर, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, मंडोर कृषि मण्डी के बाहर, जोधपुर निवासी– 34, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, जोधपुर
5. श्री जगदीश सांखला पुत्र श्री उदाराम सांखला, (मालिक)
   मैसर्स– जगदीश डिपार्टमेन्टल स्टोर, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, मंडोर कृषि मण्डी के बाहर, जोधपुर निवासी– 34, कृषि मण्डी सर्किल, मंडोर रोड, जोधपुर

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर